न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान सूर्यप्रकाश बनाम रामप्रताप आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक २६० / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
16.10.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरांत पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलक्टर रावतसर की आदेशिका दिनांक 12.10.2023 के विरूद्ध पेश की है। इस आदेशिका की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश हुई है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश अपीलीय आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज कर रजिस्टर कर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली दाखिल दफतर हो। 16/10/23 (अशोक कुमार मीणा) राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned with OKEN Scanner